आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष आत्मनिर्भर भारत के लिए एमएसएमई को सशक्त बना रहा है

योजना के बारे में:

- भारत ने आर्थिक महाशक्ति बनने की अपनी आकांक्षा को साकार करने के लिए आत्मिनर्भर आर्थिक विकास के पथ पर कदम रखा है।
 इस दिशा में, भारत सरकार द्वारा की गई पहलों में से एक है आत्मिनर्भर भारत (एसआरआई) कोष की शुरुआत।
- निधि संरचना इस प्रकार से तैयार की गई है कि यह निश्चित विकास योजना वाले व्यवहार्य एमएसएमई को विकास पूंजी उपलब्ध कराने में निजी क्षेत्र की ताकत का लाभ उठाएगी।

निधि का उद्देश्य:

- इस फंड का उद्देश्य निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इक्विटी, अर्ध-इक्विटी और ऋण के माध्यम से एमएसएमई को विकास पूंजी के रूप में आगे के प्रावधान के लिए बेटी फंड को पूंजीगत सहायता प्रदान करना है:
- एमएसएमई व्यवसायों के तीव्र विकास को समर्थन प्रदान करना, जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी आये और रोजगार के अनेक अवसर मृजित हों।
- ऐसे उद्यमों को समर्थन देना जिनमें एमएसएमई सीमा से आगे बढ़ने तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बनने की क्षमता हो।
- एमएसएमई को समर्थन देना जिससे प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके भारत को आत्मिनर्भर बनाने में
 मदद मिलेगी।

एसआरआई फंड संरचना:

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) के माध्यम से एक एआईएफ की स्थापना की है, जिसे आत्मिनर्भर भारत (एसआरआई) फंड नाम दिया गया है, जिसमें इक्विटी/अर्ध-इक्विटी/इक्विटी जैसे संरचित उपकरणों के माध्यम से एमएसएमई को विकास पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मदर फंड-डॉटर फंड संरचना है।
- इससे एमएसएमई को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने तथा एमएसएमई की सीमा से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

• एआईएफ का संचालन एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) द्वारा किया जाएगा, जो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमओएमएसएमई) के तहत भारत सरकार का एक मिनी रत्न निगम है।

एसआरआई फंड की विशेषताएं:

Particulars	Details
Target Group	Viable MSMEs with a positive growth trajectory
Total Corpus	Government of India through M/o MSME. Contribution INR 10,000 crore
Tenure of Fund	Fund life is 15 years
Scope	Disbursement to MSMEs across the country impacting lives and far and wide.
Fund Type	Daughter Funds can be categorized I or II AIFs registered with SEBI
Exclusions	Non-Profit Institutions, NBFCs, financial inclusion sector, SHGs and other financial intermediaries.

एसआरआई फंड 2020 तक भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर के जीडीपी लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देगा।

एक जीवंत एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, और एक आत्मनिर्भर भारत बनाना।

एमएसएमई योजनाएँ अधिक जानकारी और नियमित अपडेट के लिए, देखें: www.msme.gov.in 49

पूरी जानकारी के लिए <u>www.nvcfl.co.in पर जाएं</u>